रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 388] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 16, 2004/चैत्र 27, 1926
No. 388] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 16, 2004/CHAITRA 27, 1926

वस्त्र मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2004

का.आ. 506(अ).— जबकि, भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय के दिनांक 12 जुलाई, 2002 के सा. आ. 736 (ई) के आदेश द्वारा केन्द्र सरकार ने स्थायी सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर गठित अंतर्मंत्रालयी समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद यह निदेश दिया था कि इस इस आदेश की अनुसूची के कालम (3) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं को उक्त अनुसूची के कालम (4) में तदनुरूपी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार न्यूनतम प्रतिशत में आपूर्ति अथवा वितरण के लिए पटसन पैकेजिंग सामग्री में पैक किया जाए ;

और, जबकि माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता ने 2002 की रिट याचिका संख्या 1207 के कारण उत्पन्न 2002 की ए.पी.ओ.टी. संख्या 665 में दिनांक 27 जून, 2003 के अपने आदेश से केंद्रीय सरकार को निदेश दिया है कि उक्त आदेश के कालम (3) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में उक्त आदेश के जारी होने के पूर्व की यथा स्थिति बनाए रखी जाए ।

और, जबकि माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्देश के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार ने दिनांक 14.8.2003 को आदेश संख्या सा.आ. 930 (ई) जारी किया था ।

और, जबकि सिविल अपील संख्या 6880-6883/2003 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 29 अगस्त, 2003 के अपने अंतरिम आदेश में विशेष अनुमति याचिका की अनुमति दी और आदेश दिया कि वर्तमान यथास्थिति बनाए रखी जाए, और जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 16 फरवरी, 2004 के अपने आदेश द्वारा दिनांक 29 अगस्त, 2003 के अपने पूर्व आदेश में संशोधन किया और उपर्युक्त विशेष अनुमति याचिका में केंद्रीय सरकार द्वारा दायर की गई अंतरिम याचिका के मामले में यथास्थिति बनाए रखना समाप्त कर दिया ।

1. इसलिए, अब पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं की पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 (1987 का 10) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और माननीय उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त आदेश का पालन करने के लिए केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 जून, 2004 तक नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में उक्त विनिर्दिष्ट वस्तुओं को इस अनुसूची के कालम (3) में तदनुरूपी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार न्यूनतम प्रतिशत में आपूर्ति अथवा वितरण के लिए पटसन पैकेजिंग सामग्री में पैक किया जाए:

अनुसूची

क्रम संख्या	वस्तुएं	भारत में उत्पादित कच्चे पटसन से भारत में विनिर्मित पटसन पैकेजिंग सामग्री में पैक करने के लिए अपेक्षित वस्तुओं अथवा श्रेणी की वस्तुओं के कुल उत्पादन का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)
(i)	खाद्यान्न	साठ प्रतिशत (60 %)
(ii)	चीनी	पचास प्रतिशत (50 %)

2. यह अधिसूचना भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन 2003 की सिविल अपील संख्या 6880-6883 में भारत संघ और अन्य बनाम इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन और अन्य के मामले में विशेष छूट याचिका संख्या 15144-5147/2003 के संबंध में अंतिम निर्णय के अध्यधीन है ।

[फा. सं. 9/8/2001-पटसन]

अतुल चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : मूल आदेश दिनांक 12.07.2002 के सां.आ.संख्या 736 (ई) द्वारा प्रकाशित किया गया था ।

MINISTRY OF TEXTILES

ORDER

New Delhi, the 16th April, 2004

S.O. 506(E).— Whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Textiles vide No.SO 736(E), dated the 12th July, 2002, the Central Government, after considering the recommendations of the Inter- Ministerial- Committee, constituted on the basis of recommendations of the Standing Advisory Committee, had directed that the commodities specified in column (3) of the Schedule of that Order , shall be packed in jute packaging material for supply or distribution, in such minimum percentage as specified in the corresponding entries in column (4) of the said Schedule;

And, whereas the Hon'ble High Court at Calcutta, vide its Order dated the 27th June, 2003 in A.P.O.T. No. 665 of 2002 arising out of the Writ Petition No.1207 of 2002, has directed the Central Government to maintain Status Quo Ante to the passing of the said Order regarding the commodities specified in column (3) of the said Order;

And, whereas, in pursuance to carry out the aforesaid direction of the Hon'ble High Court, the Central Government had issued an Order No.S.O 930 (E) dated the 14th August, 2003;

And, whereas, in Civil Appeal No.6880-6883/2003, the Hon'ble Supreme Court in its interim Order dated the 29th August, 2003 allowed the Special Leave Petition and ordered to maintain Status Quo;

And, whereas, the Hon'ble Supreme Court vide its Order dated 16th February, .2004 modified its earlier Order dated the 29th August, 2003 and vacated the Status Quo in the matter of an Internal Application filed by the Central Government in the aforesaid Special Leave Petition;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987 (10 of 1987) and to carry out the aforesaid Order of the Hon'ble Supreme Court, the Central Government hereby directs that the commodities specified in column (2) of the Schedule below shall be packed in jute packaging material for supply or distribution in such minimum percentage as specified in corresponding entries in column (3) of the said Schedule from the date of publication of this notification in the Official Gazette to the 30th June, 2004.

SCHEDULE

Sl.No.	Commodities	Percentage of total production of commodity or class of commodities required to be packed in jute packaging material manufactured in India from raw jute, produced in India.
(1)	(2)	(3)
(i)	Foodgrains	Sixty per cent (60%)
(ii)	Sugar	Fifty per cent (50%)

2. This notification is subject to the final decision with regard to the Special Leave Petition No. 15144-15147/2003, in the matter of Union of India & Others Vs. Indian Jute Mills Association & Others in Civil appeal No. 6880-6883 of 2003, pending before the Hon'ble Supreme Court of India.

[F. No. 9/8/2001-Jute]

ATUL CHATURVEDI, Jt. Secy.

Foot Note : The Principal Order was published vide S.O.736 (E) dated 12th July, 2002

आदेश

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2004

का.आ. 507(अ).—जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारत संघ व अन्य बनाम इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन व अन्य के मामले में विशेष अनुमति याचिका संख्या 15144-15147/2003 में सिविल अपील संख्या 6880-6883/2003 में अंतरिम आवेदन सं.5/8 में दिनांक 16 फरवरी, 2004 के अपने आदेश द्वारा दिनांक 29 अगस्त, 2003 के अपने आदेश के माध्यम से उनके द्वारा स्वीकृत यथास्थिति को समाप्त कर दिया ।

इसलिए अब पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं की पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम 1987 (1987 का 10) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा 14 अगस्त, 2003 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उपखंड (2) में प्रकाशित दिनांक 14 अगस्त, 2003 के आदेश संख्या 930 (ई) को निरस्त करती है ।

यह अधिसूचना माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन 2003 की सिविल अपील संख्या 6880-6883 में भारत संघ व अन्य बनाम इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन व अन्य के मामले में विशेष अनुमति याचिका संख्या 15144-15147/2003 के संबंध में अंतिम निर्णय के अध्यधीन है ।

[फा. सं. 9/8/2001-पटसन]
अतुल चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 16th April, 2004

S.O. 507(E).— Whereas the Hon'ble Supreme Court vide its Order dated the 16th February, 2004 in the Internal Application No.5/8 in Civil Appeal No. 6880-6883/2003 in Special Leave Petition No. 15144-15147/2003 in the matter of Union of India & Others Vs. Indian Jute Mills Association & Others vacated the status quo granted by it vide its Order dated the 29th August, 2003;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987 (10 of 1987), the Central Government hereby rescinds the Order No. 930 (E) dated the 14th August, .2003, published in the Gazette of India, Extra-Ordinary, Part-II, Section 3, sub-section (ii), dated the 14th August, 2003;

2. This notification is subject to the final decision with regard to the Special Leave Petition No. 15144-15147/2003 in the matter of Union of India & Others Vs. Indian Jute Mills Association & Others in Civil appeal No. 6880-6883 of 2003, pending before the Hon'ble Supreme Court of India.

[F. No. 9/8/2001-Jute]
ATUL CHATURVEDI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.